भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4448
जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार

4448. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार का छह राज्यों में 14 मार्च, 2024 को शुरू की गई "प्रायोगिक परियोजना" की सफलता के पश्चात् संपूर्ण देश में वर्तमान वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा शुरू करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए हितधारकों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त परियोजना के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अनुसार, सरकार ने मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित, प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक की नकद रहित उपचार की सुविधा दी जाएगी।
- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा राज्य सरकारों (पुलिस, सूचीबद्ध अस्पताल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए)) आदि के समन्वय से कार्यान्वित किया जाएगा।
- ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) पैकेजों को शामिल किया गया है।
- उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों द्वारा उठाए गए दावों की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि से की जाएगी, जिसका वित्तपोषण सामान्य बीमा कंपनियों और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पुद्दुचेरी तथा असम, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम लागू किया है। कार्यान्वयन के तहत चल रहे प्रायोगिक कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों के सहयोग से जमीनी सत्यापन और मूल्यांकन के माध्यम से योजना को और सुदृढ़ करना है, साथ ही योजना को पूरे भारत में शुरू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है।

(घ) 2025-26 के बजट अनुमानों में इस योजना के लिए 272 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान है।

*****